कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण सह मुख्य वन्यजीवन वार्डन) छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, प्रथम तल एफ.आर.नॉर्थ ब्लॉक,सेक्टर–19,नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
ईमेल – cwlwcg@gmail.com Phone & Fax no 0771-2512880, Fax- 0771-2512881

क्र./व.जी./आई.टी./....2116..... नवा रायपुर दिनांक 27/03/2026

प्रति,

संयुक्त संचालक (समाचार प्रकाशन)
जनसंपर्क संचालनालय
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)
Email: dprcgh@gmail.com

विषयः- वन्यप्राणी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर सख्ती, प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) ने जारी किए निर्देश के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने बावत।

--00--

विषयान्तर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ के वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के प्रवेश से होने वाली जनहानि और बीमारियों को रोकने के लिए वन विभाग ने अब और भी सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा प्रदेश के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, उक्त संबंध में राज्य में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों के किसी एक दिवस में प्रकाशन हेतु प्रेस विज्ञप्ति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न- प्रेस विज्ञप्ति।

(अरूण कुमार पाण्डेय) भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.

क्र./व.जी./आई.टी./....2117..... नवा रायपुर दिनांक 27../03/2026

प्रतिलिपिः-

श्री एस.जगदीशन, मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ एवं नोडल अधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.

वन्यप्राणी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर सख्ती – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा जारी निर्देश

छत्तीसगढ़ के वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के प्रवेश से होने वाली हानि और बीमारियों को रोकने के लिए वन विभाग ने अब और भी सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) श्री अरुण कुमार पाण्डेय द्वारा प्रदेश के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

विगत 20 एवं 21 मार्च 2026 की मध्यरात्रि सरगुजा वनमण्डल के अम्बिकापुर स्थित संजय वाटिका में हुई हृदयविदारक घटना को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया गया है। उक्त घटना में आवारा कुत्तों ने बाड़े में घुसकर 15 शाकाहारी वन्यप्राणियों को अपना शिकार बना लिया था। इस मामले की विस्तृत जाँच के लिए विभाग द्वारा पहले ही एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जा चुकी है।

प्रमुख निर्देश और रणनीतियां –

SOP का अक्षरशः पालन –

एनटीसीए (NTCA) द्वारा टाइगर रिजर्व में कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए जारी SOP का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। आगामी दो सप्ताह के भीतर सभी फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पालतू कुत्तों के लिए ''कलर कोडिंग'' मॉडल –

बारनवापारा अभ्यारण्य में सफल रहे प्रयोग को अब पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। इसके तहत वन क्षेत्रों के समीप स्थित ग्रामों के पालतू कुत्तों को एक विशेष रंग का पट्टा (Collar) पहनाया जाएगा, जिससे उनकी पहचान हो सके। ग्रामवासियों को सचेत किया गया है कि यदि उनके पालतू कुत्ते वन क्षेत्र में पाए गए, तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

मानवीय नियंत्रण और प्रबंधन–

आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए ''एनीमल वेलफेयर बोर्ड इंडिया'' (AWBI) के मॉड्यूल का पालन किया जाएगा। कुत्तों को पकड़ने और उनके परिवहन (Transportation) के दौरान जीव कल्याण मानकों का ध्यान रखा जाएगा।

जन जागरूकता अभियान –

वन क्षेत्रों के पास स्थित गांवों में पोस्टर, बैनर और ग्राम सभाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी ताकि वन्यजीवों को रैबीज जैसी बीमारियों और हमलों से बचाया जा सके।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने स्पष्ट किया है कि वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिए आवारा कुत्तों के प्रवेश पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। सभी वनमंडलाधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्रों के लिए ग्रामवार समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया गया है, ताकि वन्यप्राणियों पर होने वाले ऐसे दुर्घटनाओं को रोका जा सके।